सूची

क्र.सं.	मद	पृष्ट सं.
1.	मिनट दर मिनट बैठक की कार्यवाही।	2
2.	वर्तमान एजेंडा ।	3
3.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार।	4–13
4.	पिछले प्रेम बैठक (24.03.2021) की कार्यवृत्त पर मदवार टिप्पणी।	14–26

मिनट दर मिनट प्रेम बैठक की कार्यवाही

क्र.सं.	मद	अधिकारी	बजे से	बजे तक
1.	प्रेम ग्रुप के सदस्यों का स्वागत।	उप महाप्रबंधक (सा.)	11.30	11.35
2.	अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप द्वारा अध्यक्षीय संबोधन।	महाप्रबंधक	11.35	11.40
3.	प्रेम ग्रुप सदस्य के वक्तागण :–			
	ईसीआरकेयू	अध्यक्ष	11.40	12.20
		महासचिव		
		अपर महासचिव		
		सहायक महासचिव		
	एस0सी0 एवं एस0टी0 एशो0	जोनल अध्यक्ष	12.20	12.30
		जोनल सचिव		
	ईसीआरपीओए	अध्यक्ष	12.30	12.40
		महासचिव		
	ईसीआरओए	अध्यक्ष	12.40	12.50
		महासचिव		
4.	वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्षों द्वारा चर्चा :	सभी विभागाध्यक्ष	12.50	13.10
5.	वर्तमान एजेंडा पर खुली चर्चा।	अध्यक्ष की अनुमति से	13.10	13.25
6.	धन्यवाद ज्ञापन।		13.25	13.30

वर्तमान एजेंडा

(चर्चा का विषय)

1. गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना।

2. रेल संपत्ति का आगजनी से बचाव।

वर्तमान एजेंडा पर विभागाध्यक्ष एवं प्रेम ग्रुप के सदस्यों से प्राप्त सुझाव/विचार :

महासचिव / ईसीआरकेयू

1. **गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न उपाय :–**
    - रेलवे स्टेशनों पर स्थित पार्सल घर/गोदाम आदि को ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए।
    - स्टोर डिपो में रखे सामानों के पास जलती बीड़ी/सिगरेट नहीं फेंकना चाहिए।
    - कैरेज रिपेयर डिपो/कारखानों में गैस गोदामों तथा स्क्रैप यार्डों में ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखना चाहिए।
    - डीजल, तेल, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, रबर के सामान तथा पार्ट–पुर्जे पर अधिक सख्ती से ध्यान देने की जरुरत है।
    - कोचों में लूज वायरिंग तथा फिटिंग्स एवं पैंट्री कार पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।
    - कोचों के शौचालयों में पूरा पानी भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही इनके पाइप लाईन, नल तथा स्टेशनों पर वाटर बूथ में भी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।
    - स्टेशनों एवं चलती गाड़ियों में अधिकृत वेंडरों द्वारा मानक कंपनी का ही बोतल बंद पानी बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

2. **रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–**
    - पैन्ट्रीकार में गैस स्टोव/विद्युत चूल्हा/ओवन साफ एवं ज्वलनशील पदार्थों से दूर रखना चाहिए।
    - पैन्ट्रीकार का गलियारा अवरोध रहित रखना सुनिश्चित हो ताकि आग लगने की स्थिति में बाहर निकलने में असुविधा नहीं हो।
    - यदि चलती ट्रेन के किसी कोच में आग लग गई हो तो सर्वप्रथम चेन खींचकर गाड़ी खड़ी कर उक्त कोचों को अलग करना सुनिश्चित करना चाहिए।
    - विद्युत सॉकेट/मोबाइल चार्जिंग प्वांइट पर अतिरिक्त लोड देने से बचना चाहिए।
    - असामान्य अवस्था में खिड़की का ग्लास तोड़ने हेतु कोचों में हैमर की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए।
    - कचरे को कोचों में रखे डस्टबिन के बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
    - जब गैस चूल्हा नहीं जल रहा हो तो गैस पाइपलाइन बन्द रखना चाहिए।
    - अग्निशामक यंत्र आराम से उपलब्ध होने के स्थान पर रखना चाहिए।
    - ट्रेन क्रू (गार्ड एवं ड्राइवर), टी टी ई, एसी स्टाफ, आर पी एफ/जी आर पी स्टाफ, पैन्ट्रीकार स्टाफ तथा ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ को अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए।
    - आर आर आई के पैनल रुम में फॉल्स सीलिंग नहीं होना चाहिए।

महासचिव/ईसीआरपीओए

1. **गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु उपाय :–**

➢ **ट्रैक में अधिकतर वेल्डेड रेलों का प्रयोग किया जाता है इसलिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाय।**

- पूलों के एप्रोच पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- लेवल क्रासिंग के एप्रोच पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- ऐसे स्थान जहां प्रायः गांव के लोग एवं पालतू पशु ट्रैक क्रॉस करते हैं वहां पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता एवं उसे रोकने की व्यवस्था।
- गोलाई में बाहर साइड, ब्रिदिंग लेंथ एवं एस0इ0जे0 पर पर्याप्त गिट्टी की उपलब्धता।
- एल0डब्ल्यू0आर0 की डिस्ट्रेसिंग निश्चित तापमान पर अवश्य की जानी चाहिए विशेषकर जिस स्थान पर रेल चेंजिंग का कार्य जाडें में किया गया हो।
- ट्रैक के जिस भाग में जाडे के समय डिस्ट्रेसिंग की गयी हो पुनः गर्मी शुरू हाने के पहले डिस्ट्रेसिंग किया जाय।
- जहां पहली बार रेल चेंजिंग की गयी हो वहां पर गर्मी शुरू होने के पहले डिस्ट्रेसिंग की जाय।
- जहां एस0इ0जे0 का गैप असाधारण रूप से घट या बढ रहा हो वहां भी डिस्टेसिंग करायी जाय।
- जिस भाग में जाडे के समय रेल फैक्चर ज्यादा हुए हो वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग करायी जाय।
- जिस भाग मे डीप स्क्रीनिंग, स्लीपर चेंजिंग का कार्य लम्बे स्ट्रेच में किया गया हो वहां पर भी डिस्ट्रेसिंग करायी जाय।
- शत् प्रतिशत फिटिंग कम्पलीट की जानी चाहिए।
- बडे पूलों पर एक या दो रेल का पैनल लगाया जाता है इसलिए उनके जोडों पर गैप सुनिश्चित किया जाय।
- गर्मी की पेट्रोलिंग समय से शुरू की जाय तथा पेट्रोलमैन का मुवमेंट रेगुलर चेक किया जाय।
- दोपहर के समय में चलने वाली ट्रेनों में ज्यादा से ज्यादा फूट प्लेटिंग चेक किया जाय ।
- बिना स्पीड रेस्ट्रीक्सन लगाये डीप स्क्रीनिंग एवं ट्रैक रिनुअल का कार्य न किये जाए।
- किसी भी ज्वाइंट की फिश प्लेट ग्रीसिंग गर्मी में न की जाय।
- एल0डब्ल्यू0आर0 के किसी भी भाग में थ्रू पैकिंग करने से बचा जाय।
- किसी भी पैच में दोपहर में बालास्ट को खुला न छोडा जाय।
- गैप एवं प्री डिस्ट्रेसिंग किये बिना बी0सी0एम0 मशीन से डीप स्क्रीनिंग न किया जाय।
- एल0डब्ल्यू0आर0 ट्रैक की डिस्ट्रेसिंग के लिए उचित तापमान पर ट्राफिक ब्लाक की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

2. **<u>रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु उपाय</u>** :–

➢ **कोच में आग से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायः–**

- सभी एसी कोच, पावर कार, लोकोमोटिव और एस एल आर में वैद्य परीक्षण नियत तारीख में किया जाय साथ ही साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- पैंट्री कार, एसी कोच पावर कार के कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के संचालन के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
- ऑयल टैंक वैगनों और लोकोमाटिव के ईंधन के रिसाव का उचित जांच एवं परीक्षण तथा उससे निपटने के तरीकों को सुनिश्चित किया जाए।
- कोच वायरिंग में पोजिटिव और निगेटिव केबल को अलग–अलग करना सुनिश्चित करें।
- रोटरी जंक्शन बॉक्स के कवर की उपलब्धता और उसकी लॉकिंग व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- टीएल डिब्बों में फ्यूज वितरण बोर्ड की उचित सिलिंग सुनिश्चित करें ताकि बाहरी/विदेशी सामग्रियों (जैसे कि बीड़ी, सिगरेट और गुटखा कवर पेपर इत्यादि) के प्रवेश को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।
- किसी भी जीवित भाग और कोच बॉडी के बीच न्यूनतम गैप सुविधा और कोच वायरिंग में विपरीत ध्रुवों के हिस्सों के बीच न्यूनतम गैप सुनिश्चित किया जाए। बैट्री कनेक्शनों को ठीक से कसना और साफ करना सुनिश्चित की जाए।
- लाईट, पंखे और स्वीच बोर्ड से ढीले तार को हटा दिया जाए।

➢ **लोकोमोटिव में आग से रोकथाम हेतु उपायः –**

- ऑयल बाथ फिल्टर वाले लोकामोटिव में ऑयल पैन से तेल का रिसाव नहीं होना चाहिए।
- इंजन का ड्रेन होल साफ हो और कोई ऑयल/पानी का जमाव एक्सप्रेशर/कम्प्रेशर रूम और इंजन रूम में नहीं हो।
- सभी केवल जोड़ों का उचित जोड़ सुनिश्चित किया जाए।

➢ **एसएलआर/वीपी में आग से रोकथाम का उपायः–**

- छत के इलेक्ट्रीक लैम्प और ब्रेक वैन (एसएलआर) के लगेज कम्पार्टमेंट में लोड किये गये पैकेजों की ऊपरी परत के बीच न्यूनतम निर्धारित गैप छोड़ा जाना चाहिए।
- सील करने से पहले एसएलआर/वीपी की सभी लाईटें बंद करना सुनिश्चित किया जाय।

➢ **पैंट्री कारों और पावर कारों में आग से रोकथाम हेतु उपायः–**

- चिमनी को कालिख से जाम होने और ओवर हीटिंग से बचाने के लिए पैंट्री कारों की चिमनी को नियमित रूप से सफाई किया जाना चाहिए।
- गैस सिलेंडरों को गैस कक्ष में ही रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- विद्युत जंक्शन बॉक्स को कवर किया जाना चाहिए।

- कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गैस पाईप एस्बेस्टस सामग्री से इनसुलेटेड किया गया है।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी पावर कार में फायर डिटेक्टर कार्यरत है।
- पैंट्री कार के तार ढीले या लटके नहीं होने चाहिए।

➢ प्रतिष्ठानों में आग से रोकथाम के उपायः–

- अस्थायी वायरिंग और कनेक्शन से बचा जाए।
- सामान्य तारों के लिए लचीली कंड्यूट का प्रयोग न किया जाए।
- लागातार फ्यूज के ब्लोअप को रोकने या खत्म करने के लिए फ्यूज की क्षमता में वृद्धि न किया जाए।
- बिजली/करेंट के लिकेज से बचाव हेतु आरसीसीबी (रेसिड्यूबल करेंट ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर्स) का उपयोग किया जाए।
- सभी विद्युत उपकरणों के लिए 3 पिन प्लग का उपयोग किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए की अर्थिंग पिन, अर्थिंग के लिए निर्धारित कनेक्शन से जुड़ा हो।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि ज्वलनशील सामग्री को प्रमुख बिजली आपूर्ति उपकरणों (जैसे कि– ट्रांस्फर्मर, पावर पैनल, बैटरी चार्जर इत्यादि) से दूर रखा गया हो।

➢ इंजीनियरिंग विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- सभी ट्रैक मशीनों और कैंपिंग कोचों में वैध परीक्षण तारीख के साथ अग्निशामक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- सभी कार्यशालाओं और डिपो में अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित किया जाए जहां अस्थायी रूप से इंजन संग्रहित किया जाता है।
- एसी और टीएल कोचों में आग की घटनाओं की रोकथाम के निर्देश सभी ट्रैक मशीन के कैंपिंग कोच पर भी अमल में लायें जायें।
- प्रतिष्ठानों में आग की घटनाओं की रोकथाम के निर्देश सभी इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान जैसे कि पीडब्ल्यूआई डिपो, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण संस्थानों, टीएमसी कार्यशालाओं ,पीडब्ल्यूआई, आइओडब्ल्यू ऑफिस पर अमल में लाए जायें।

➢ सिगनल एवं दूर संचार विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- बिजली आपूर्ति उपकरण कक्ष में अग्निशामक उपकरण (एफइ और फायर बकेट) रखे जाने चाहिए।
- प्रमुख स्थान पर अग्निशामक उपकरणों के साथ प्रतिष्ठानों के रिले कक्ष में आग का पता लगाने और अलार्म की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- आर0आर0आई0 एवं ई0आई0 इंस्टाकेशन में आग लगने के सभी कारणों के विरूद्ध आवश्यक

कदम उठाये जायें।

➢ वाणिज्य विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- यात्री कोचों और एसएलआर में ज्वलनशील सामग्री जैसे कि–पटाखों , मिट्टी तेल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर आदि सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- यात्री ट्रेनों में स्टोव ,सिगरी, फिल्म इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और ट्रेनों में सिगरी और स्टोव का उपयोग करने वाले अनाधिकृत फेरीवाले और विक्रेताओं के रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।
- पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब रेल द्वारा परिवहन के लिए दो पहिया मोटरसाइकिल की पेशकश की जाती है, तो पेट्रोल टैंक पूरी तरह से खाली हो।
- वाणिज्य पर्यवेक्षकों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की गुड्स शेड/वाणिज्य भूखंडों में ज्वलनशील सामग्री को ढेर करते समय उचित सावधानी बरती जाए।
- पार्सल कर्मचारी यह सुनिश्चित करे कि श्रमिक पार्सल लोड/अनलोड करते समय धूम्रपान या बीड़ी, सिगरेट नहीं जलाएं।
- प्लेटफार्म पर चल रही खान–पान सेवा ट्रॉली को जलती गैस स्टोव और सिगरी के साथ नहीं चलने देना चाहिए।

➢ परिचालन विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- यातायात विभाग से संबंधित स्टेशन परिसर एवं अन्य स्टेशनों पर अग्निशामक यत्रों संबंधित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- स्टेशन कर्मचारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों के अद्यतन टेलीफोन नम्बर (लैंड लाइऩ/मोबाईल), रिकार्ड के साथ समय–समय पर उसका परीक्षण किया जाना चाहिए तथा एसएम कार्यालय के बाहर इसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

➢ सुरक्षा विभाग – आग से रोकथाम के उपायः–

- यात्री डिब्बों एवं एसएलआर में ज्वलनशील पदार्थ जैसे– पटाखे, मिट्टी का तेल पेट्रोल, गैस सिलिंडर इत्यादि की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
- यात्री ट्रेनों में स्टोव, सिगरी, फिल्म इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की ज्वलनशील सामग्री आवसीय परिसर से दूर रखी गई है।
- अन्य विभागों के आग लगने की संभावनाओं को रोकने के लिये उनसे सहयोग एवं तत्परता से कार्रवाई की जाय।

प्रमुसंधि

1. गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन हेतु निम्न विंदुओं का कठोर अनुपालन किया जायः–

- ❖ संवेदनशील लोकेशन पर सतर्कता – मिस एलाइनमेंट या बकलिंग होने के कारण–
  - LWR एवं CWR पथ में अनिश्चितता/अलगाव।
  - स्वीकार्य प्रचलित तापमान से अधिक तापमान पर ट्रैक के रख–रखाव के उद्देश्य से रेल पटरी खोला जाना।
  - तापमान td+10 डिग्री सेल्सीयस से अधिक तापमान पर पैकिंग तथा कुशन लगाने हेतु ट्रैक को उठाया जाना।
  - SWR एवं LWR दोनों को अनियंत्रित रूप से सरकन (क्रीप) कराना।
  - ट्रैक के अनवरत स्ट्रेच बनाये रखने के क्रम में गायब और अप्रभावी बंधन।
- ❖ ग्रीष्म ऋतु आने के पहले पूरा किये जाने वाले कार्य–
  - सरकन (क्रीप) का समायोजन एवं प्रतिरोध कार्य।
  - गैप का सर्वेक्षण एवं समायोजन।
  - SWR एवं CWR को ढ़ीला करना।
- ❖ प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग तथा आपातकालीन क्रॉस ओवर के रख–रखाव को प्राथमिकता दी जाय।
- ❖ प्वाइंट्स एवं क्रॉसिंग क्षेत्र, विशेष कर ट्रेस पासिंग हेतु संभावित क्षेत्र एवं पुल की पहुंच/वक्रता पर जांच की जाय कि यहां बैलास्ट की कमी हो तो इसका समाधान किया जाय।
- ❖ खंडों की पहचान कर लंबित USFD निरीक्षण कार्य पूरा किया जाय ।
- ❖ जहॉ आवश्यक हो वहां ग्रीष्म ऋतु पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाय।
- ❖ ट्रैक मशीन कार्य को संपादित करने के लिए सभी अनिवार्य ग्रीष्म ऋतु सावधानियां बरती जाय।
- ❖ दूसरे विभागों द्वारा संरक्षित कार्य ग्रीष्म ऋतु हेतु अनिवार्य सावधानियां सुनिश्चित की जाय। जैसे :
  - OHE के ATD के वायर रोप के सहज गतिशीलता की जांच।
  - सभी संवेदनशील लोकेशन एवं इन्सटालेशन पर पर्याप्त संरक्षा की जांच की जाय।
- ➢ **गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन के संबंध में संरक्षा विभाग द्वारा एक माह का ड्राईव (दिनांक 15.03.2022 से 14.04.2022 तक) चलाने का निर्देश दिया गया है।**

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- ज्वलनशील सामग्री जैसे पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि को ट्रेन में ले जाने के रोकथाम हेतु आर.पी.एफ. पेट्रोलिंग, वाणिज्य विभाग एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा यात्रियों का निवारक जॉच किया जाना चाहिए।
- आर.पी.एफ. एवं वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत हॉकरों एवं वेंडरों की गहन जांच किया जाना चाहिए कि वे ट्रेन में स्टोव एवं सिगड़ी इत्यादि को न ले जा सके।
- आर.पी.एफ., वाणिज्य विभाग, गार्ड एवं स्टेशन कर्मचारियों द्वारा पार्सल भान/ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ यथा पटाखे, कोयला, तेल, गैस इत्यादि ले जाने एवं रोकने के लिए जॉच की जानी चाहिए।
- स्टेबल डिब्बों/कोचिंग रेक का रात के समय विशेष जांच किया जाना चाहिए कि स्टेबल डिब्बों/रेक के सभी दरवाजे, खिड़कियां, वेस्टीब्युल्स सुरक्षित है।

- पैंट्री कारों में विद्युत उपकरण, ब्यालर, वायरिंग सिस्टम, जंक्शन बक्से इत्यादि को उचित रख–रखाव एवं अद्यतन स्थिति में रखा जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- डिब्बों में ज्वाइंट्स/जंक्शन इत्यादि में देखा जाना चाहिए कि यह ओवर लोड कार्यप्रणाली, ओवर वोल्टेज बचाव यंत्र, मानक आकार के फ्युजेज, एम.सी.बी., उचित अर्थिंग, उचित वायरिंग उचित कुचालक इत्यादि सही है या नहीं।
- पैंट्री कार में पैंट्रीकार उपकरण, गैस सिस्टम, फलेक्सीवल पाईप एवं वाल्व की गड़बड़ी/कमियों की जॉच की जानी चाहिए। पैंट्रीकार के केन्द्रीकृत गैस इंस्टालेशन कनेक्शन से संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुरूप गैस सिलेंडर स्टोरेज कमरा अलग एवं बंद होना चाहिए।
- पैंट्री कारों एवं जेनेरेटर कारों में आग बुझाने वाले संबंधित यंत्र पर्याप्त एवं उचित रख–रखाव वाले हों।
- दुरंतो, तेजस, राजधानी शताब्दी इत्यादि ट्रेनों के जेनरेटर कार में आग से सुरक्षा व सावधानियों से संबंधित निवारक जांच की जानी चाहिए।
- रिले रूम, पैंट्रीकार, पावर कार एवं ट्रेन के दूसरे डिब्बों, डीजल फ्यूलिंग इंस्टालेशन एवं अन्य जीवंत संयंत्रों में अग्निशामक यंत्र एवं फायर वाल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। अग्निशामक यंत्रों का उचित फिलींग, समय से रिफीलिंग एवं कर्मचारियों का अग्निशामक यंत्रों को चलाने हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित की जाय।

➢ **ट्रेन में आग लगने से बचाव के संबंध में भी संरक्षा विभाग द्वारा एक माह का ड्राईव (दिनांक 14.03.2022 से 13.04.2022 तक) चलाने का निर्देश मंडलों को दिया गया है।**

उपरोक्त दोनों ड्राईव पूर्ण होने के बाद स्थितियों में बदलाव अवश्य आएगा ऐसा हम अपेक्षा करते हैं।

प्रमुपरिप्र

2 रेलवे संपत्ति का आगजनी के कारण एवं बचाव हेतु निम्न उपाय :–

कारण –

- **यात्री द्वारा ज्वलनशील पदार्थ जैसे स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर या पटाखे इत्यादि ले जाना।**
- **कागज, पेट्रोल या इसी प्रकार के अन्य ज्वलनशील सामान के नजदीक लकड़ी या आग जलाना।**
- **धुम्रपान करना और जलती हुई माचिस की तीली, सिगरेट, बीड़ी के टुकड़े इत्यादि को लापरवाही से फेंकना या पंखा, स्विच बोर्ड में जलते टुकड़े घुसाना इत्यादि।**
- **पैंट्रीकार में गैस सिलिंडरों से रिसाव एवं ज्वलनशील पदार्थ जैसे समाचार पत्रों, खाद्य तेलों इत्यादि का लापरवाही से भंडारण करना।**
- **पैंट्रीकार कर्मचारियों द्वारा पैंट्री उपक्रमों का लापरवाही से उपयोग करना।**
- **तोड़–फोड़, उपद्रव इत्यादि**

बचाव –

- **यात्रियों को सावधान करने के लिए यात्री डब्बों एवं पैंट्रीकार में सतर्कता बरतने हेतु स्टीकर चिपकाया जाना एवं समय–समय पर निरीक्षण अभियान चलाया जाना।**

- **प्रत्येक गाड़ी के इंजन एवं ब्रेकभान में अग्निशामक यंत्र वैधता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करना।**
- **स्टेशनों के समपार फाटक एवं अन्य कार्य स्थलों पर अग्निशामक यंत्र वैधता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं सभी कर्मचारियों को इसके प्रयोग की जानकारी होना।**
- **अग्निशामक यंत्रों को आसानी से दिखाई देने एवं पहुंच वाले स्थान पर रखा जाना।**
- **शंटिंग के दौरान ज्वलनशील, विस्फोटक पदार्थ से लदे वैगनों का लूज शंटिंग से संबंधित निर्देशों का पालन किया जाना।**
- **यात्री गाड़ियों में कार्यरत कर्मचारी/रनिंग कर्मचारी को आग लगने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का विशेष रुप से प्रशिक्षण दिया जाना।**

प्रमुयांइ

1. गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- एल.एच.बी. कोचों में डस्टबीन के पास लगाए गए Exhaust Fan को डमी/आइसोलेट कर दिया गया है, कुल 1448 एल.एच.बी. कोचों में यह कार्य किया गया है।
- विधुत सुरक्षा/फ्यूज के बायपास/लूज कनेक्शन के लिए कुल 3277 कोचों की जांच की गई है। फ्यूज उड़ने की घटना के मामले को लगातार monitor किया जा रहा है एवं इसका समुचित रिकार्ड रखा जा रहा है।
- सभी कोचों में स्टेनलेस स्टील के कूड़ेदान लगाए गए हैं।
- 216 एस्कॉर्टिंग स्टाफ एवं 639 कोच अटेंडेंट को फायर एक्सटिंग्विशर के संचालन और अग्निशमन के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है।
  मॉक ड्रिल नियमित अन्तराल पर आयोजित किया जा रहा है जिससे कि वास्तविक दुर्घटना की स्थिति में संबंधित कर्मचारियों की सक्षमता सुनिश्चित की जा सके।
- सभी नवनिर्मित पावर कारों और एलएसएलआरडी के विधुत पैनलों में एरोसोल आधारित एफ.ई. लगाए गए हैं। फायर बॉल को पावर कारों और पैंट्री कारों के पैनल क्षेत्र में रखे गए हैं।
- ट्रेन परिचालन से संबंधित सभी कर्मचारियों को आग पर काबू हेतु उचित दिशा–निर्देश दिया गया है तथा किसी भी विपरीत परिस्थिति में आग पर काबू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- ट्रेन में आग लगने के किसी भी संकेत के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए ट्रेन के एस्कॉर्टिंग कर्मचारियों को नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया गया है। उनके नाम और संपर्क नं0 यात्री परिवहन के लिए डिब्बों में भी प्रदर्शित किया जा रहा है।
- सभी डिपो के भंडार में तथा बड़े संयंत्र को आग से बचाव हेतु उचित संख्या में अग्निशामक की व्यवस्था की गयी है।

प्रमुसिदूइं

1. गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- ट्रैक रिले पिक–अप/वोल्टेज को सीमा के अंदर बनाये रखने के लिए ट्रैक सर्किट मापदंड का सामंजन।
- इंसुलेटेड ज्वाइंट्स के दंड पोस्ट का क्रश होने से बचाने के लिए सरकन (क्रीष) को रोकना।
- रिले रूम आईपीएस में फायर बॉल।
- जहां कहीं उपलब्धता हो वातानुकूलन उपस्करों का समुचित रूप में कार्य करना।
- वायु संचरण के लिए रिले रूम में उचित वेन्टिलेशन।
- रिले रूम को डस्ट (धुल) मुक्त रखने के लिए साफ–सफाई।
- कनेक्टर क्लिप की उचित लॉकिंग सुनिश्चित करने के लिए वायरिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण।
- केबल प्रवेशकों का सील किया जाना।
- अग्नि चेतावनी/अग्निशामक पद्धति की व्यवस्था।

2. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–

- जहां कही भी केबल ड्रम रखा हुआ है वहॉ की समुचित साफ–सफाई की जाती है, जिससे आग लगने की संभावना ना रहे।
- फायर अलार्म सिस्टम रिले रूम में स्थापित किया गया है।
  स्टाफ को समय–समय पर फायर एक्सटींगेशर चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है।

प्रमुइं

1. गर्मी के मौसम में संरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करना :–

- मशीन टैंपिंग सहित बढते तापमान के दौरान आपातकालीन प्रकृति को छोड़कर एलडब्ल्यूआर/सीडब्ल्यूआर का कोई रखरखाव कार्य नहीं किया जाएगा।
- गिट्टी के नुकसान को रोकने के लिए पैदल यात्री और मवेशी क्रॉसिंग पर बौनी दीवारें प्रदान की जा सकती है। गर्मी शुरु होने से पहले गिट्टी की पुनः पूर्ति का कार्य पूरा कर लिया जाए।
- किसी भी अनुरक्षण कार्य को शुरू करने से पहले पूर्ण गिट्टी खंड उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में गिट्टी एकत्र किया जाए।
- सामान्य रख–रखाव के तहत, किसी भी समय लगातार 30 से अधिक स्लीपर नहीं खोले जाने चाहिए।
- वास्तविक बकलिंग का पता चलने की स्थिति में डेटोनेटर लगाकर और बैनर फ्लैग प्रदर्शित कर यातायात को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।
- ट्रैक को स्लू करने या संरेखित करने या मौजूदा गिट्टी सेक्शन को बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

प्रमुसाप्र
1. रेलवे संपत्ति का आगजनी से बचाव हेतु निम्न उपाय :–   • अग्निशामक यंत्र तथा वाटर पम्पींग सिस्टम जगह–जगह लागाया जाय साथ ही बालु से भरा बाल्टी यथोचित स्थानों पर लगाया जाय ताकि आपात स्थिति में उपयोग में लाया जा सके।   • स्मौक/फायर कर्टन एक तय एरिया में लगाया जाए जिससे लोकल फायर अलार्म पैनल या स्मोक डिटेक्टर से कनेक्ट कर, आग लगने पर अविलम्ब सूचना प्राप्त हो सके।   • फायर अलार्म सिस्टम फायर कंट्रोल रुम में लगाया जाए जिससे सूचना अविलंब प्राप्त हो सके।   • ट्रेन के आस पास कागज, लकड़ी, पेट्रोल या अन्य सामग्री को जलाने से रोका जाय।   • ज्वलनशील सामान जैसे स्टोव, गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल आदि यात्री डिब्बों में रखने एवं ट्रेन में धूम्रपान जैसे सिगरेट, बीड़ी के उपयोग करने से रोकने हेतू आरपीएफ तथा टीसी द्वारा सधन जांच किया जाय।   • ट्रेन के पेंट्रीकार में गैस सिलिंडर को समय समय पर जांच किया जाय ताकि गैस रिसाव को रोका जा सके।   • ज्वलनशीन पदार्थों का ट्रेन में भंडारण करने से रोका जाय।   • पेंट्रीकार के कर्मचारियों द्वारा पेंट्री उपकरण का गलत संचालन/लापरवाही से उपयोग करने से रोका जाय।

पिछला प्रेम बैठक (दिनांक 24.03.2021) के कार्यवृत पर मदवार टिप्पणी :–

क्र.सं.	मद	प्रविभागाध्यक्ष	अभियुक्ति
1.0	**श्री एल.सी.त्रिवेदी, महाप्रबंधक**		
1.1	चिकित्सालयों से संबंधित मल्होत्रा समीति की रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कम महत्व वाले अस्पतालों को पॉलिक्लीनिक के रूप में चलाया जाना है । उन्होंने निर्देश दिया कि पतरातु एवं गड़हरा जैसे दूर–दराज के महत्वपूर्ण अस्पतालों पर चिकित्सक एवं यूनियन के प्रतिनिधि एक विस्तृत रिपोर्ट महाप्रबंधक को प्रस्तुत करगें ताकि तार्किक होने पर इन अस्पतालों का भविष्य में उन्नयन किया जा सके।	प्रमुचिनि, सचिव ईसीआरकेयू	मुचिधी/धनबाद व मुचिधी/सोनपुर द्वारा निर्देशानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित किया गया है। गया ,पतरातु एवं गड़हरा जैसे रेलवे अस्पताल हेतू यूनियन द्वारा नामित प्रतिनिधि ने मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के उपरांत संबंधित मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ संयुक्त रिपोर्ट तेयार कर प्रधान मुख्य चिकित्सा निर्देशक,हाजीपुर को भेजा जा चुका है।
1.2	पूर्व मध्य रेल पर गार्ड का बॉक्स हेल्पर द्वारा सिर पर उठाया जाना एक बुराई का प्रतीक है, जिसे समाप्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए । उन्होंने प्रेम ग्रुप के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध किया कि इसे समाप्त किये जाने से संबंधित सुझाव दें ।	ईसीआरकेयू, महासचिव ईसीआरएससी / एससीएवंएसटीए. महासचिव	ट्रेनों से गार्ड बॉक्स हटाने को लेकर यूनियन का विचार है कि ये मामला पूरे भारतीय रेलवे का है। अतः इस मुद्दे पर कोई भी निर्णय रेलवे बोर्ड द्वारा लिया जाना उचित होगा। गार्ड लाईन बॉक्स को हटाने से गार्ड को अत्यधिक भार वहन कर अपनी ड्यूटि पर जाना होगा जिससे उनकी कार्यक्षमता /एकाग्रता प्रभावित होगी। अतः गार्ड का बॉक्स को हटाने में असहमति व्यक्त करता है।
1.3	सभी प्रशिक्षण कोर्स में अग्निशमन यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण का एक क्लास अनिवार्य रूप संलग्न किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया।–**प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरपुर में सभी वर्ग में सभी वर्ग के प्रशिक्षुओं को अग्निशमन विषय पर सैद्वांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है।– **प्रमुपरिप्र** यद्दपि यह मद वाणिज्य विभाग से संबंधित नहीं है तथापि भविष्य में यदि कोई प्रशिक्षण वाणिज्य कार्यक्रम विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है तो इसे सम्मिलित किया जाएगा।–**प्रमुवाप्र** प्रशिक्षण कोर्स में अग्निशमन यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण का एक क्लास अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने हेतु पर्यवेक्षक प्रशिक्षण केंद्र/सम्स्तीपुर को निर्देशित किया गया। –**प्रमुयांइं** प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स में अग्निशमन यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता हैं। –**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन सुनिश्चित हेतु नोट किया गया। – **प्रमुसिदुइं**

			अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
1.4	पूर्व मध्य रेल में विधुत वायरिंग का लोड आधारित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुविइं	नोट किया गया। – **प्रमुविइं**
1.5	महाप्रबंधक महोदय ने प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी को निर्देश दिया कि कर्मचारी कल्याण निरीक्षक के माध्यम से एचआरएमएस में आ रही कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त करें एवं इन्हें तत्तकाल दूर करना सुनिश्चित कराएं।	प्रमुकाधि	HRMS के उपयोग में आ रही कठिनाईयों के समाधान हेतु सभी मंडलों/यूनिटों में HRMS हेल्प डेस्क कार्यरत है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी कल्याण निरीक्षकों के माध्यम से HRMS में आ रही कठिनाईयों का समाधान किया जाता है।
1.6	महाप्रबंधक महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि जब कभी भी अधिकारी निरीक्षण में जाए तो कर्मचारियों से एचआरएमएस से संबधित कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त कर उसे दूर किया जाना सुनिश्चित करायें ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया तथा इस कार्यालय में एचआरएमएस से संबंधित कठिनाईयों को दूर किया जा रहा है।**–प्रमुसंधि** नोट किया गया। **–प्रमुवाप्र** अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गयी है एवं इसमें आनेवाली समस्याओं को दूर किया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।**–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया। अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।– **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
1.7	महाप्रबंधक महोदय ने यह निर्देश दिया कि पूर्व मध्य रेल के सभी विभागीय प्रशिक्षण पूर्व मध्य रेल में ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए । अगर इत्तर रेलवे पर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना अतिआवश्यक हो तो इसकी पूर्व अनुमति महाप्रबंधक महोदय से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया एवं निर्देशानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। **–प्रमुवाप्र** नोट किया गया। **–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया। – **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
1.8	महाप्रबंधक महोदय ने निर्देश दिया कि सभी लोको का सेनिटाईज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुयांइं प्रमुविइं	यह विधुत विभाग से संबंधित है। सभी लोको को सेनेटाइज करने के उपरांत ही परिचालन किया जाता है।
1.9	दूर–दराज के स्थानों की पहचान कर उन स्थानों में कार्यरत रेल कर्मचारियों के सुविधा पास जारी करने एवं एचआरएमएस में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया एवं सुनिश्चित किया जायेगा।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया तथा यह मद मंडल से संबंधित है। **–प्रमुसंधि** वाणिज्य विभाग द्वारा कर्मचारियों को सुविधा

			पास/पीटीओ लेने में आने वाले कठिनाईयों को दूर किया जा रहा है। साथ ही ,रिटायर कर्मचारियों को भी इसी माध्यम से पास लेने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। **–प्रमुवाप्र** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।**– प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
1.10	अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग के पूर्व इनका प्रयोग वास्तविक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किया जान । सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, सभी मरेप्र	नोट किया गया।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।**– प्रमुचिनि** इस बारे में दिनांक 06/07/2021 को सभी मंडलों को अनुपालन हेतु जारी किया गया हैं।**– प्रमुपरिप्र** ऐसा निर्देश संरक्षा विभाग द्वारा मंडल को दिया गया है तथा साप्ताहिक संरक्षा बैठकों में सभी मंडल को अवगत कराया जा रहा है।**–प्रमुसंधि** अग्निशमन में रिफिलिंग का कार्य फायर अधिकारी द्वारा किया जाता है। अतः इस संबंध में फायर अधिकारी पूर्व मध्य रेल ,हाजीपुर को पत्र लिखा जाना अपेक्षित है।**–प्रमुवाप्र** अग्निशमन यंत्रों के प्रयोग का प्रशिक्षण कर्मचारियों को समय–समय पर दिया जाता है एवं इसे सुनिश्चित किया जाता है। **–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** विधुत विभाग के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता हैं। **– प्रमुविइं** समय–समय पर सुनिशिचित किया जाता है। **– प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं** धनबाद मंडल के 18 नामित प्वाइंट का फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया गया है। partial compliance किया गया है तथा शेष बिन्दुओं पर compliance की जा रही है। **–धनबाद मंडल** अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग के पूर्व इनका प्रयोग वास्तविक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए सभी विभागों को उपलब्ध कराया जाता है।**– समस्तीपुर मंडल** अनुपालन हेतु नोट किया गया।– **सोनपुर मंडल** सुनिश्चित किया जा रहा है।**– डीडीयू मंडल** सुनिश्चित किया गया है।**– दानापुर मंडल**
1.11	रेलकर्मियों के इलाज हेतु अनुबंधित प्राइवेट अस्पताल जिनके बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उसकी सूची प्रधान मुख्य चिकित्सा	प्रमुचिनि, प्रविस	सुनिश्चित किया जाता है। इस संबंध में सूची प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

	निदेशक द्वारा प्रधान वित्त सलाहकार को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाए।		
2.0	**श्री डी. के. पांडेय, अध्यक्ष, ईसीआरकेयू**		
2.1	सभी रेलकर्मी एवं उनके परिवार को कोविड–19 का टीका रेलवे द्वारा लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुचिनि	सभी मंडल चिकित्सालय व केन्द्रीय चिकित्सालय में कोविड–19 का टीका लगाया जा रहा है।
2.2	पीपीई किट, फेस मास्क एवं दस्ताने आवश्यकतानुसार उपलब्ध रखा जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुचिनि	पीपीइकिट, फेसमास्क एवं दस्ताने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
2.3	कुसुंडा स्टेशन पर घटित रोलिंग डाउन की घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उपलब्ध नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुपरिप्र प्रमुविइं	इस बारे में दिनांक 23/03/2021 के पत्रांक ईसीआर/ईएलई ओपी/ 344 के अंतर्गत एक जे पी ओ जारी किया गया है जिसमें सिक्यूरिंग ऑफ वेहिकल, इंजन,लोड जो कि स्टेशन सेक्शन या ब्लॉक सेक्शन में स्टेबल करने के विरूद्ध हैं और उसे दिनांक 24/06/2021 को सभी मंडलों के संबंधित कर्मचारियों के काउंसलिग के लिए कहा गया हैं। रोलिंग डाउन जैसी घटना से बचाव के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देशो का पालन हेतु ट्रेन पासिग स्टॉफ को काउंसिलिंग की जाती हैं।
2.4	शंटिंग के दौरान चेन, हैंड ब्रेक, गुटका आदि का नियमानुसार लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं संबंधित रेलकर्मियों को शॉटकट विधि अपनाने से रोका जाए ।	प्रमुपरिप्र	इस बारे में दिनांक 24/12/2020 को एक परिचालन संरक्षा अलर्ट सं. 07/2020 जारी कर दिया गया है और उसे दिनांक 24/06/2021 को सभी मंडलों के संबंधित कर्मचारियों को काउंसिलिग किया गया ।
2.5	ऑलराइट सिगनल का नियमानुसार आदान–प्रदान किया जाना चाहिए इससे हॉट एक्सिल, रॉलर बियरिंग आदि की घटना से बचा जा सकता है ।	प्रमुपरिप्र	इस बारे में दिनांक 07/01/2020 को एक परिचालन संरक्षा अलर्ट सं. 01/2020 जारी कर दिया गया है और उसे दिनांक 24/06/2021 को सभी मंडलों के संबंधित कर्मचारियों को काउंसलिग के लिए र्निदेशित किया गया है।
2.6	सभी कार्य स्थलों पर समुचित मात्रा में निर्धारित मानदंडों के अनुकूल अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए जाएं तथा उन स्थलों के कर्मचारियों को इन यंत्रों का परिचालन संबंधित प्रशिक्षण किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, सभी मरेप्र	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया, अनुपालन किया जा रहा है।–**प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया।–**प्रमुसंधि** नोट किया गया। इस स्रबंध में वास्तविक संख्या का आकलन कर आवश्यकता होने पर फायर अधिकारी को नया अग्निशमन यंत्र लगाने हेतु पत्र लिखा जाएगा।–**प्रमुवाप्र** अग्निशमन यंत्र उपलब्ध कराई जा रही है एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दी जा रही है।–**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसुआ** विधुत विभाग के सभी कर्मचारियों को

			समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाता हैं। – **प्रमुविइं** सभी कार्यस्थल(ऑफिस ,स्टेशन इत्यादि) पर अग्निशमन यंत्र उपलब्ध हैं और इसके परिचालन संबंधी प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाता है। – **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं** धनबाद मंडल के 18 नामित प्वाइंट को फायर सेफ्टी ऑडिट करा लिया गया है। partial compliance किया गया है तथा बाकी बिन्दुओं पर compliance की जा रही है।**–धनबाद मंडल** सभी कार्य स्थलों पर समुचित मात्रा मे निर्धारित मानदंडो के अनुकूल अग्निशमक यंत्रों की उपलब्धता सभी विभागों द्वारा अपने –अपने स्तर पर किया जाता है। इन यंत्रो का परिचालन संबंधीत प्रशिक्षण भी सभी विभागों द्वारा अपने–अपने स्तर से दिया जाता है। – **समस्तीपुर मंडल** अनुपालन हेतु नोट किया गया।– **सोनपुर मंडल** विधुत/सा0 विभाग के कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रो के परिचालन हेतु प्रशिक्षण/जागरूकता समय–समय पर संरक्षा विभाग एवं अग्निशमन विभाग के सहयोग से दिया जाता रहा है।– **डीडीयू मंडल** उल्लेखित प्रशिक्षण तथा अग्निशमन यंत्र रख–रखाव एवं रिफिलिंग तथा प्रायोगिक जानकारी पूर्व से ही सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल किया हुआ है और प्रत्येक प्रशिक्षु को इसका प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। – **दानापुर मंडल**
2.7	सभी प्रशिक्षण स्कूलों में अग्निशामक यंत्रों का परिचालन करने का प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। **–प्रमुवाप्र** पर्यवेक्षक प्रशिक्षण सेंटर/समस्तीपुर को निर्देशित किया गया। –**प्रमुयांइं** प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स में अग्निशमन यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है **–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया। अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।– **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
2.8	सभी कार्य स्थलों पर लोड आधरित विधुत वायरिंग किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुविइं	लोड को देखते हुए उचित क्षमता का वायर का प्रयोग किया जाता है।
2.9	एचआरएमएस के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए ।	प्रमुकाधि	CRIS के सहयोग से HRMS के लागू मॉड्यूल

			में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण, विभिन्न तिथियों पर ऑनलाईन कराया जाता है। साथ ही, उपयोगकर्ता कर्मचारियों को आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को भी स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञों के माध्यम से समाधान किया जाता है।
2.10	पूर्व मध्य रेल की रेल प्रणाली पर परिचालित होने वाली मेमू/डेमू ट्रेनों में गार्ड बॉक्स के उपस्करों को ब्रेक वान में रखा जा सकता है।	प्रमुपरिप्र	नोट किया गया।
3.0	**श्री एस.एन.पी. श्रीवास्तव, महासचिव/ईसीआरकेयू**		
3.1	कोविड–19 की सावधानी के बारे में पुर्व की तरह कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	पूर्व की भांति कार्रवाई की जा रही है।–**प्रविस** नोट किया गया, अनुपालन किया जा रहा है। ।–**प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** कोविड –19 की सावधानी पूरी तरह कड़ाई से पालन किया जा रहा है।–**प्रमुसंधि** भारत सरकार एवं पूर्व मध्य रेल द्वारा समय – समय पर जारी किये गये निर्देशो का अनुपालन किया जा रहा है। –**प्रमुवाप्र** कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।–**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं सभी मंडलों को निर्देश दिया गया।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** ऑफिस में सभी कर्मचारी सेनेटाइजर और मास्क का प्रयोग करते रहें यह सुनिश्चित किया जा रहा हैं। – **प्रमुसिदुइं** अनुपालन किया जा रहा है। –**प्रमुइं**
3.2	ट्रेनों के इंजन, कोच एवं स्टेशन परिसर का सेनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुयांइं, प्रमुविइं	कोच का सेनेटाईजेशन संबंधित डिपो एवं स्टेशन परिसर का सेंनेटाईजेशन ईएनएचएम अनुभाग द्वारा किया जाता हैं। सभी लोको को सेनेटाइज के उपरांत ही परिचालन सुनिश्चित किया जाता है।
3.3	गया, पतरातु एवं गड़हरा में कार्यरत रेल अस्पतालों का एक चिकित्सक एवं यूनियन के प्रतिनिधि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें ताकि इन अस्पतालों का भविष्य में उन्नयन किया जा सके।	प्रमुचिनि, सचिव ईसीआरकेयू	यथानुसार कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। गया ,पतरातु एवं गड़हरा जैसे रेलवे अस्पताल हेतू यूनियन द्वारा नामित प्रतिनिधि ने मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट पर चर्चा के उपरांत संबंधित मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के साथ संयुक्त रिपोर्ट तैयार कर प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक,हाजीपुर को भेजा जा चुका है।
3.4	जोखिम से संबंधित कार्यों में आउटसोर्सिंग नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया,भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।–**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र**

			नोट किया गया।–**प्रमुसंधि** नोट किया गया। –**प्रमुवाप्र** सुनिश्चित की जा रही है।–**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन के लिए नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** यथासंभव अनुपालन किया जा रहा है। –**प्रमुइं**
3.5	दूर–दराज के अस्पतालों में जॉच लैब की व्यवस्था की जाए ।	प्रमुचिनि	व्यवस्था की जाएगी।
3.6	ई–ऑफिस में ऐसी व्यवस्था की जाए कि कर्मचारियों का मूवमेंट भी दर्ज हो सके ।	प्रमुसिदुइं	इस कार्य के संयोजन के लिए RCIL,Eastern circle,Kolkoata को पत्र लिखा गया है। – **प्रमुसिदुइं**
3.7	43600/– रूपये से नीचे वाले रेलकर्मियों को रात्रि भत्ता का भुगतान अविलंब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	लेखाविभाग से संबंधित नही है।–**प्रविस** नोट किया गया।–**प्रमुसाप्र** नोट किया गया।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया।–**प्रमुसंधि** वाणिज्य विभाग के वैसे कर्मचारी जो रू 43600/– के नीचे के है और जो रात्रि भत्ता पाने के हकदार हैं उन्हें रात्रि भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। रात्रि भत्ता बकाए से संबंधित कोई भी मामला वाणिज्य विभाग में लंबित नहीं है।–**प्रमुवाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।–**प्रमुयांइं** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** रेलबे बोर्ड एवं जोनल पॉलिसी के तहत सुनिश्चित किया जएगा। – **प्रमुसिदुइं** नियमानुसार भता दिया जा रहा है। –**प्रमुइं**
3.8	सभी मंडलों के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा दूर–दराज के कम से कम 02 स्टेशनों पर स्वयं जाकर कर एचआरएमएस पद्धति द्वारा नमुना सुविधा पास जारी कराया जाना सुनिश्चित करें ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, सभी मरेप्र	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया।–**प्रमुसाप्र** नोट कर लिया गया है एवं तदनुसार पालन किया जा रहा है।–**धनबाद मंडल** अनुपालन हेतु नोट किया गया।– **सोनपुर मंडल** नोट किया गया।– **डीडीयू मंडल** मंडल के सभी ईकाई /स्टेशन के संबंधित कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है एवं सुनिश्चित किया जा रहा है। – **दानापुर मंडल** अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं सभी मंडलों को निर्देशित किया गया।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया। – **समस्तीपुर मंडल**
3.9	इलेक्ट्रिकल सुपरवाईजर/टीआरएस रेलकर्मियों का पदोन्नति प्रशिक्षण कचरापाड़ा में कराया जा रहा है । ऐसे प्रशिक्षणों को पूर्व मध्य रेल अन्तर्गत ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुयांइं,	महाप्रबंधक महोदय द्वारा झाझा मेमू शेड में "बेसिक ट्रेनिग स्कूल" का एक कार्य स्वीकृत है जिसका अनुमानित लागत 75 लाख रूपये है। जिसका "डिटेल एस्टिमेट इंजीनियरिंग विभाग ,दानापुर द्वारा तैयार किया जा रहा है।

		प्रमुविइं	नोट किया गया। – **प्रमुविइं**
3.10	सभी विभाग का प्रशिक्षण भी पूर्व मध्य रेल में दिया जाना सुनिश्चित की जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया।–**प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। –**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया। – **प्रमुसिदुइं** इस पर विचार किया जाऐगा।– **प्रमुइं**
4.0	**श्री एस.एस.डी. मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष/ईसीआरकेयू**		
4.1	'कोरोना पॉजिटिव को विशेष अवकाश नही लेकिन क्वारेंटाइन रेल कर्मियों को विशेष अवकाश' यह विरोघाभाषी है कृपया इस पर उचित निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है ।	प्रमुकाधि	कोरोना प्रभावित कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं0 14029/5/2019-EStt(L)Pt.2 Dt 28.07.20 एवं 13020/1/2019-EStt(L) Dt 01.03.21_एवं रेल मंत्रालय के आदेश E(G)2020/LE2/1/Pt2 Dt 14.06.21 के आलोक में अवकाश की स्वीकृति/नियमन किया जा रहा है।
4.2	शंटिंग के दौरान शार्टकट विधि नहीं अपनाया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र	नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र**
4.3	समय–समय परसंरक्षा सेमिनार आयोजित किया जाना चाहिए तथा कर्मचारियों को समुचित काउंसिलिंग किया जाना चाहिए।	प्रमुपरिप्र, प्रमुसंधि	नोट किया गया। संरक्षा सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।
4.4	प्रत्येक रेल कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्र चलाने की जानकारी से रू–बरू होनी चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया।–**प्रविस** नोट किया गया, अनुपालन किया जा रहा है। ।–**प्रमुसाप्र** सभी रेल कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र चलाने की जानकारी दी गयी है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** संबंधित विभागों से कार्रवाई आपेक्षित है तथा संरक्षा निरीक्षण के दौरान लोगों को इसकी जानकारी संरक्षा विभाग द्वारा दी जा रही है।–**प्रमुसंधि** समय –समय पर सेफ्टी विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। अनुपालन हेतु पुनः पत्र लिखा जाएगा।–**प्रमुवाप्र** प्रत्येक रेल कर्मचारी को अग्निशामक यंत्र चलाने की जानकारी दी गई है एवं समय –समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित की जा रही है।–**प्रमुयांइं** प्रारंभिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स के दौरान अग्निशमन यंत्र से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। –**प्रमुसुआ** विधुत विभाग के सभी कर्मचारियों को समय–समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता हैं। – **प्रमुविइं** प्रशिक्षण दिया जाता है।– **प्रमुसिदुइं**

			अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
4.5	ई–ऑफिस एवं एचआरएमएस को प्रभावशाली बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित की जाए।	प्रमुसिदुइं,	अनुपालन के लिए नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं**
4.6	यात्रा भत्ता, राष्ट्रीय अवकाश एवं रात्रि भत्तों से संबधित प्रविष्टि कम्प्यूटरीकृत किया जाना सुनिश्चित की जाए ।	प्रमुकाधि	भत्तों की प्रविष्टि IPAS कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जा रही है।
4.7	प्रशिक्षण स्कूलों की प्रत्येक तिमाही में यूनियन की टीम द्वारा निरीक्षण कराया जाना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष, महासचिव ईसीआरकेयू	नोट किया गया।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया। –**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** अनुपालन के लिए नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** प्रशिक्षण स्कूलों को यूनियन प्रतिनिधियों द्वार निरीक्षण हेतु निम्न प्रतिनिधिग भाग लेंगे। (क) श्री एस एन पी श्रीवास्तव –महामंत्री (ख) श्री एस एस एस डी मिश्रा –कार्यकारी अध्यक्ष (ग) श्री मिथलेश कुमार – कार्यकारी अध्यक्ष नोट किया गया। **–प्रमुइं**
5.0	**श्री पवन कुमार राम, महासचिव /ईसीआरएस.सी/एसटी एशो.**		
5.1	एचआरएमएस का डाटा कम्प्यूटरीकृत कराते समय आउटसोर्सिंग किया गया इससे डाटा ठीक प्रकार से फीड नहीं हो पाया । अतः कार्मिक विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही इसे पूरा कराया जाना चाहिए तथा इसके लिए एक मजबूत मूलभूत संरचनाओं की उपलब्धता कार्मिक विभाग में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	प्रमुकाधि	• फीड किये गये डाटा को सभी कार्यालयों द्वारा Update किया जाता है, ताकि किसी भी कर्मचारी को पोर्टल की सुविधा मिलने में कोई परेशानी न हो। • HRMS लागू किये जाने हेतु आवश्यक हार्डवेयर का क्रय पूमरे के सभी मंडलों/यूनिटों द्वारा किया गया है।
5.2	ई–ऑफिस एक मजबूत एवं पारदर्शी कार्य प्रणाली है । अतः सभी कर्मचारियों को स्कैनर उपलब्ध कराया जाए ।	प्रमुसिदुइं, सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	इस संबंध में आवश्यकता के अनुरूप प्रत्येक विभाग में स्कैनर उपलब्ध कराया जा चुका है।**–प्रविस** नोट किया गया,भविष्य में सुनिश्चित किया जाएगा।**–प्रमुसाप्र** कर्मचारियों को स्कैनर व प्रिन्टर उपलब्ध करा दिया गया है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** कार्यलय में स्कैनर की सुविघा दी गई है।**–प्रमुसंधि** नोट किया गया । उचित कार्रवाई की जाएगी।**–प्रमुवाप्र** सुनिश्चित की जा रही है।**–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** कार्य में प्रयुक्त होने वाले सभी फाईल स्कैन होकर ई–ऑफिस में उपलब्ध है। पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण हेतु प्राप्त पत्र संबंधित शाखा में

			उपलब्ध स्कैनर द्वारा स्कैन कर ई–ऑफिस में प्रस्तुत किया जाता है।– **प्रमुसिदुइं** आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है। **–प्रमुइं**
5.3	सभी कर्मचारियों को ई–ऑफिस में कार्य करने हेतु लैपटॉप के लिए ब्याज रहित राशि अग्रिम दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया एवं नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।**–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** नोट किया गया।– **प्रमुचिनि** यह नीतिगत मामला है और कार्मिक विभाग से संबंधित है।– **प्रमुपरिप्र** यह विभागों का नीतिगत मामलों से संबंधित है। **–प्रमुसंधि** नोट किया गया । **–प्रमुवाप्र** नीतिगत मामला है। **–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** यह कार्मिक विभाग से संबंधित है।– **प्रमुसिदुइं** नीतिगत मामला है। **–प्रमुइं**
5.4	अस्पतालों की निरीक्षण समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए।	प्रमुकाधि	इस संबंध में रेलवे बोर्ड के स्पष्ट निर्देश नही है। एशोसिएशन की मांग के अनुरूप रेलवे बोर्ड को निर्णय हेतु पत्र भेजा गया है।
6.0	**श्री एच. सी. यादव/महासचिव/ईसीआरपीओए**		
6.1	टेस्ट–ट्रेसिंग–ट्रीटमेंट को जारी रखा जाना सुनिश्चित की जाए।	प्रमुचिनि	सुनिश्चित किया जाता है।
6.2	कोरोना डाटा एकत्रित किया जाए ।	प्रमुचिनि	कोरोना डाटा एकत्रित किया जा रहा है।
6.3	कोरोना से संबंधित काउंसिलिंग किया जाए ।	प्रमुचिनि	कोरोना संबंधित काउंसिलिंग किया जा रहा है।
6.4	रोलिंग डाउन से बचने के लिए जब कभी भी लोड खड़ा किया जाए तो उसका फोटोग्राफी किया जाना चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुपरिप्र	नोट किया गया। नोट किया गया।
6.5	अग्नि दुर्घटनाओं से बचने के लिए उपलब्ध वाटर हाइड्रेंट में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।	सभी मरेप्र, प्रमुइं	नोट किया गया। **–धनबाद मंडल** उपलब्ध कराया जा रहा है। – **सोनपुर मंडल** मकैनिकल विभाग द्वारा समय–समय पर विभिन्न स्टेशनों /प्रतिष्ठानों की ऑडिट कराई जाती है। इसी आधार पर अग्निशमन यंत्रों एवं वाटर हाइड्रेंट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है।– **समस्तीपुर मंडल** अनुपालन किया जा रहा है।– **दानापुर मंडल** वाटर हाइड्रेंट में पानी हमेशा उपलब्ध रहता है।
6.6	गाड़ियों में ज्वलनशील पदार्थो की ढुलाई पर रोक लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।	प्रमुवाप्र, प्रमुसुआ	सभी मंडलों को अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया है। अनुपालन हेतु नोट किया गया एवं सभी मंडलों को निर्देशित किया गया।**–प्रमुसुआ**
6.7	एक अभियान चलाकर विधुत वायर की लूज ज्वाइंट ठीक कराई जाए ।	प्रमुविइं	नोट किया गया।
6.8	किसानों द्वारा फसलों की कटाई के	प्रमुइं	अनुपालन हेतु किया जा रहा है।**–प्रमुइं**

	मौसम में खर–पतवार में आग लगाए जाने की स्थिति में रेलवे लाइन पर नजर रखा जाना चाहिए ।		
6.9	सप्ताह में 02 कार्य दिवसों में वीडियो कॉफ्रेंसिंग / मीटिंग नहीं की जानी चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया **–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** नोट किया गया।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** नोट किया गया।**–प्रमुसंधि** नोट किया गया । **–प्रमुवाप्र** नोट किया गया। **–प्रमुयांई** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** दिये गये निर्देशो पर विचार किया जायेगा। **–प्रमुइं**
7.0	**श्री जे. के. पी. सिंह, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी**		
7.1	सामाजिक दूरी काम भी जरूरी हमारा लक्ष्य होना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया एवं नियमानुसार समाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है।**–प्रविस** नोट किया गया, अनुपालन किया जा रहा है। । **–प्रमुसाप्र** सुनिश्चित किया जाता है।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** दो गज की दूरी बनाते हुए कार्य किया जा रहा है।**–प्रमुसंधि** अनुपालन किया जा रहा है एवं भविष्य में भी इसे कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्ति किया जाएगा।**–प्रमुवाप्र** सुनिश्चित की जा रही है।**–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।– **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। **–प्रमुइं**
7.2	सभी रेलकर्मियों को सेल्फ लर्निंग एवं सेल्फ ट्रेनिंग के प्रति जागरूक होना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया **–प्रविस** नोट किया गया।**–प्रमुसाप्र** नोट किया गया।– **प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** सभी रेलकर्मियों को सेल्फ लर्निंग एवं सेल्फ ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।**–प्रमुसंधि** नोट किया गया। सभी कर्मचारियों को प्रेरित किया जाना सुनिश्ति किया जायेगा।**–प्रमुवाप्र** सुनिश्चित की जा रही है।**–प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।**–प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** समय–समय पर रेल कर्मियों को जागरूक किया जाता है। **–प्रमुइं**
8.0	**श्री अशोक कुमार, अपर महाप्रबंधक**		

8.1	सभी मंडलीय अस्पतालों को एक सॉफटवेयर के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा जिससे दवाओं की उपलब्धता आसानी से प्रदर्शित होगा । इससे चिकित्सक ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दवाओं का चयन कर सकेंगे।	प्रमुचिनि	स्पर्श एप का सृजन किया गया है। जिसके तहत कार्य किया जा रहा है।
8.2	मरीजों की स्थिति भी सॉफटवेयर पर उपलब्ध हो सकेगी, जिससे चिकित्सक मरीज को विशेषज्ञ डॉक्टर के पास सीधे भेज सकेंगे। परिणामतः चिकित्सकों को और अधिक मरीज देखने का समय मिल सकेगा तथा मरीज को भी संबंधित चिकित्सीय सेवा लेने में सहुलियत होगी ।	प्रमुचिनि	सृजीत स्पर्श एप के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है।
9.0	**श्री बृजेश कुमार, प्रमुख मुख्य इंजीनियर**		
9.1	गर्मी के मौसम में ट्रैक पर कर्मचारियों में संरक्षा जागरूकता बनी रहनी चाहिए।	प्रमुसंधि	संबंधित विभाग द्वारा इसे सुनिश्चित किया जाना है।
10.0	**श्री दिनेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/द.**		
10.1	नई बिजली उपकरण लगाते समय वायर की क्षमता की जॉच करा ली जानी चाहिए ।	प्रमुविइं	लोड को देखते हुए उचित क्षमता का वायर का प्रयोग किया जाता है।
10.2	कोविड–19 शपथ पत्र को वाट्सएप पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया, अनुपालन किया जा रहा है। ।–**प्रमुसाप्र** आवशयकतानुसा कार्रवाई की जा रही है।–**प्रमुचिनि** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** शपथ पत्र वाट्सऐप पर उपलब्ध कराया गया है। –**प्रमुसंधि** नोट किया गया । –**प्रमुवाप्र** उपलब्ध कराया गया है।–**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसुआ** नोट किया गया। – **प्रमुविइं** नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**प्रमुइं**
11.0	**श्री रमेश चन्द्र, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर**		
11.1	सभी रेलकर्मी शार्टसर्किट के प्रति जागरूक रहें ।	सभी प्रधानविभागाध्यक्ष	नोट किया गया –**प्रविस** नोट किया गया।–**प्रमुसाप्र** नोट किया गया। – **प्रमुपरिप्र** विभिन्न संरक्षा बैठको ,गोष्ठियों तथा सेमिनारो में कर्मचारियों को शार्टसर्किट न करने की हिदायत दी जाती है।–**प्रमुसंधि** नोट किया गया।समय–समय पर निर्देश दिया जा रहा है एवं भविष्य में भी दिया जाता रहेगाा –**प्रमुवाप्र** नोट किया गया। –**प्रमुयांइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया।–**प्रमुसुआ**

			नोट किया गया। – **प्रमुविइं** अनुपालन के लिए नोट किया गया।– **प्रमुसिदुइं** अनुपालन हेतु नोट किया गया। –**प्रमुइं**
11.2	कोई भी कनेक्शन अस्थाई नहीं रखें।	प्रमुविइं	नोट किया गया। – **प्रमुविइं**

———